अध्याय - I

भण्डारण और भाण्डागार

भण्डारण और भाण्डागार

भण्डारण और उसकी संकल्पना

भण्डारण की संकल्पना मानव के अस्तित्व से जुड़ी हुई है, जो कि मानव ने प्रकृति से सीखी है । प्रकृति ने अपने सीने में अनगिनत वैभव संपदा का भण्डारण किया है । कहीं दुर्लभ खनिज संपदा का भण्डारण है, तो कहीं अथाह जल-राशि का, तो कहीं बहुमूल्य रत्न संपदा का भण्डारण है । इसके अतिरिक्त मधुमक्खी, चींटी जैसे कीट-पतंगें भी सदैव भण्डारण प्रक्रिया में लगे रहते हैं । उन्मुक्त गगन में उड़नेवाले पक्षी भी अपने भविष्य के लिए कुछ न कुछ जमा करने में लगे रहते हैं । प्रकृति के इस भण्डारण चमत्कार से मानव सदैव ही चकित और आकर्षित होता रहा है । इसी से प्रेरित हो मानव अपनी बुद्धि के अनुसार अपने भविष्य के लिए भण्डारण करता रहा है ।

इस प्रकार मानव द्वारा भण्डारण करना उतना ही पुराना है, जितनी की मानव संस्कृति । मानव को, मुख्य रूप से, भविष्य की चिंता और आवश्यकता ने ही भण्डारण करने के लिए प्रेरित किया है ।

ऐसा कहा जाता है कि आदि पुरूष मनु जो प्रलय के बाद अकेला ही बचा था, पहाड़ की चोटी पर बैठा कई दिन तक मानव की विनाश लीला देख कर रोता रहा । मानव को मानव का भक्षण करते देखता रहा । दुःख और पीड़ा से छटपटाता जीवन-मृत्यु के बीच संघर्ष करता रहा । निराश होकर कई बार उसने मरने का प्रयत्न भी किया । भूख, प्यास और विनाश से त्रस्त होकर एक बार जैसे ही वह मरना चाह रहा था, श्रद्धा को देख उसके मन में जीने की इच्छा जागृत हुई । कहते हैं कि श्रद्धा ने ही अपने द्वारा संग्रह किये अनाज से महीनों तक उसके भोजन की व्यवस्था की ।

यह भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में यूनान देश में फारोह नामक राजा राज करता था । एक दिन राजा फारोह ने एक स्वप्न देखा । अपने स्वप्न में राजा ने देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और 7 हृष्ट-पुष्ट गौएं नील नदी से बाहर आ रही हैं, जिनके पीछे सात दुबली-पतली गौएं भी आ रही हैं । उन दुबली-पतली गौओं ने हृष्ट-पुष्ट गौओं को खा लिया । इसी प्रकार धान का हरा पौधा प्रकट हुआ, जिसमें 7 हरे अंकुर लगे हुए थे । तदुपरांत धान का सूखा पौधा प्रकट हुआ जिसमें 7 सूखे हुए अंकुर थे । इस सूखे पौधे ने हरे पौधे को अपने में समेट लिया । यह स्वप्न देखकर राजा अचम्भे में पड़ गए और उन्होंने अपने मंत्री को कहा कि वे एक ऐसा व्यक्ति ढूँढ लाएं जो स्वप्न के बारे में अच्छी व्याख्या करना जानता हो । उस समय महल में उपस्थित एक सेवक ने राजा से कहा कि वह जोसफ नामक एक व्यक्ति को जानता है, जो स्वप्न की अच्छी व्याख्या कर सकता है । जोसफ को तुरन्त बुलवाया गया । राजा ने अपने स्वप्न के बारे में जोसफ को बताया । सपने का अर्थ बताते हुए जोसफ ने कहा कि दोनों स्वप्नों का एक ही अर्थ है । जोसफ ने कहा कि 7 हृष्ट-पुष्ट गौएं और धान के हरे पौधे में लगे हुए 7 अंकुर यूनान के 7 समृद्धिशाली वर्षों के प्रतीक हैं और

7 दुबली-पतली गौएं और सूखे हुए धान के पौधे में 7 सूखे हुए अंकुर 7 वर्ष के दुर्भिक्ष के प्रतीक हैं । जोसफ ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि ईश्वर ने यह बताना चाहा है कि यूनान में 7 वर्ष अधिक धन-धान्य होगा और उसके बाद के 7 वर्षों में दुर्भिक्ष रहेगा । इसलिए दुर्भिक्ष के 7 वर्षों दौरान की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनाज इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी । इसके पश्चात राजा फारोह ने जोसफ को अपना मंत्री बना लिया और समृद्धि के 7 वर्षों में अनाज इत्यादि इकट्ठा करने और उनके भण्डारण का उत्तरदायित्व उसे सौंपा, ताकि दुर्भिक्ष काल के दौरान अनाज की समस्या से निपटा जा सके ।

इसप्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति की अस्थिरता से खाद्य पदार्थों की निरन्तर प्राप्ति के अभाव एवं यदा-कदा अकाल पड़ने की स्थिति के दुःखद अनुभव/आशंका ने मानव को इस बात के लिए विवश किया कि वह भविष्य के उपयोग तथा बीज के लिए अनाज का संग्रह व भण्डारण करे ।

प्राचीन समय में भण्डारण का उद्देश्य मात्र लम्बे समय तक अनाज को सुरक्षित रखना होता था क्योंकि भण्डारित अनाज का उपयोग मनुष्य द्वारा स्वयं के भोजन तथा बीज के लिए किया जाता था । इसलिए अनाज का भण्डारण गड्ढों, टोकरों, मिट्टी के बर्तनों तथा चट्टानों के कोठरों में किया जाता था परन्तु आज न तो केवल उस एकमात्र उद्देश्य से और न ही उन तरीकों से अनाज का भण्डारण किया जाता है । आज भण्डारण के मुख्य उद्देश्य हैं :

1. लम्बे समय तक सुरक्षित भण्डारण करना ।
2. किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद करना ।
3. मूल्य-नियंत्रण करना ।
4. भण्डारित वस्तु को आवश्यकतानुसार उपभोक्ता तक पहुँचाना ।
5. वितरण लागत में कमी लाना ।
6. वैज्ञानिक भण्डारण पद्धति अपनाकर भण्डारण हानि को कम करना ।
7. उचित रख-रखाव एवं वैज्ञानिक परिरक्षण द्वारा गुणता-नियंत्रण करना ।
8. जमाखोरी खत्म करना ।

भाण्डागारों का निर्माण भी इन सभी बातों को ध्यान में रखकर औरऐसे स्थानों पर किया जाता है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से हो सके तथा किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य और उपभोक्ता को उचित मूल्य में अच्छा अनाज मिल सके । इस प्रकार किसान और उपभोक्ता दोनों को लाभ पहुँचे, किसानों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार हो, जो हमारे देश की समृद्धता के लिए आवश्यक है जहाँ की लगभग 70% आबादी गाँवों में रहती है और ग्रामीण आबादी का मुख्य पेशा कृषि है ।

भाण्डागार की विशेषताएँ

1. **भाण्डागार एक भवन, ढाँचा अथवा सुरक्षित अहाता होता है**

भण्डारण के लिए प्रयुक्त भवन, ढाँचा अथवा अहाता इतना सुरक्षित होता है कि वहाँ भण्डारित माल का बचाव, सुरक्षा तथा गुण-नियंत्रण सम्भव हो सके, ताकि जमाकर्ता द्वारा जमा किए गए माल की प्रकृति पर बुरा प्रभाव न पड़े और जमाकर्ता को उसी मात्रा और रूप में जमा माल सुपुर्द किया जा सके ।

2. **भाण्डागार का भाण्डागार लाइसेंस होता है**

भाण्डागार सामान्यतः सांविधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अपना कार्य संचालन करता है । भाण्डागार को भाण्डागार अधिनियम, जिसके अधीन वह कार्य करता है, लाइसेंस प्रदान करता है । लाइसेंस प्राप्त भाण्डागार अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन करता है । भण्डारण नियम में भण्डारण की शर्तें भी निहित होती हैं, जो उचित भण्डारण प्रणाली को सुनिश्चित करने में सहायक होती हैं ।

जिस वस्तु के भण्डारण के लिए लाइसेंस अनिवार्य न हो उस भाण्डागार को लाइसेंस प्रदान करना आवश्यक नहीं होता है ।

3. **भाण्डागार का उपयोग व्यापारिक माल के भण्डारण के लिए होता है**

भाण्डागार में भण्डारित वस्तुएँ व्यापार तथा वाणिज्य के लिए होती है । माल का भण्डारण एवं परिरक्षण वैज्ञानिक तरीकों से विभिन्न भण्डारण आवश्यकताओं को देखते हुए किया जाता है । माल का भण्डारण विभिन्न स्थानों अथवा क्षेत्रों में मालिकों के शीघ्र खपत के लिए किया जाता है । इसमें भण्डारित माल की सदैव बाजार में उपयोगिता होती है ।

वे वस्तुएँ जिनकी बाजार उपयोगिता नहीं होती भाण्डागार में भण्डारण के लिए स्वीकार नहीं की जातीं ।

4. **भण्डारण जमाकर्ता की ओर से किया जाता है**

यदि भवन, अहाते का मालिक उसका प्रयोग अपने माल के भण्डारण के लिए करता है तो उसे सामान्यतः गोदाम अथवा भण्डारगृह कहते हैं । यदि भवन, अहाते में जमाकर्ता के माल का भण्डारण किया जाता है तो उसे भाण्डागार कहते हैं ।

जमाकर्ता भाण्डागार में भण्डारित माल का स्वामी होती है और भाण्डागार का मालिक माल की बाह्य देख-रेख करता है । इसके अतिरिक्त वह माल की सुरक्षा तथा माल की परिहार्य क्षति का उत्तरदायित्व भी स्वीकार करता है ।

5. **भाण्डागार में आवश्यक उपकरण होते हैं**

भाण्डागार वस्तुओं के भण्डारण की एक ठोस एवं सुरक्षित संरचना होती है, जिसमें आवश्यकतानुसार वस्तु का वजन करने, चट्टे लगाने, नमूना एकत्र करने, विश्लेषण तथा श्रेणीकरण की सुविधाएँ होती हैं ।

6. **भाण्डागार भण्डारण से सम्बन्धित अन्य सहायक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराते हैं**

भाण्डागार का मालिक जमाकर्ता द्वारा अपेक्षित सामूहिक सेवाएँ जैसे रख-रखाव, परिवहन, माल का वितरण आदि-भी प्रदान करता है ।

7. **भाण्डागार मालिक भण्डारण के लिए स्वीकृत माल की भाण्डागार रसीद जारी करता है**

भाण्डागार का मालिक भण्डारण के स्वीकृत माल की बाकायदा भाण्डागार रसीद जारी करता है, जिसमें जमाकर्ता द्वारा जमा माल का पूर्ण विवरण दिया जाता है ।